



विश्व शान्ति मिशन

●●● ट्रस्ट की स्थापना के उद्देश्य

- 1 समाज के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, खेल-कूद, साहित्यिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक विकास हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन हेतु कार्य करना। शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- 2 नवयुवक, नवयुवतियों व छात्र-छात्राओं को रचनात्मक दिशा देना एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिये प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट व महिला इण्टर कॉलेज व स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर के विद्यालयों, आईटीआई, पॉलिटेक्निक विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विज्ञान एवं मैनेजमेंट, टेक्निकल, प्रोफेशनल कॉलेज एवं लॉ कॉलेज, धर्मशाला/लॉज/गोदाम/होटल की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
- 3 शिक्षा एवं जीवनोपयोगी ज्ञान का प्रचार-प्रसार करना तथा आम जनता में चेतना जागृत कर उन्हें शिक्षित एवं रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना।
- 4 वर्तमान समय में विज्ञान के जीवन का आवश्यक एवं अनिवार्य अंग होने की स्थिति को देखते हुए तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को सूचना एवं कम्प्यूटर तकनीक पर आधारित होने के कारण उससे सम्बन्धित ज्ञान को जिज्ञासुओं व प्रशिक्षणार्थियों को अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपलब्ध कराना।
- 5 समाज के सामुदायिक विकास, परस्पर भाईचारा, साम्प्रदायिक ताल-मेल, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सरकारी सम्पत्ति के प्रति प्रेम, राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा, भारतीय संविधान की रक्षा, प्राकृतिक चीजों एवं जीवों की रक्षा, प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण की सुरक्षा, राष्ट्रीय कानून के प्रति वफादारी तथा समाज के प्रति जिम्मेदारी के लिए युवकों तथा महिलाओं को जागरूक करना तथा उन्हें प्रशिक्षित करना। लिंग-भेद, जाति-पाति, छुआछूत, धर्म और सम्प्रदाय, ऊँच-नीच की भावना को समाप्त करने के लिए प्रशिक्षण/जागरूकता/लिटरेचर आदि की व्यवस्था करना। शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना एवं न्यास के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड/आई0सी0एस0ई0 पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम से विद्यालयों की स्थापना करना।
- 6 शिक्षा/प्रसार उन्नयन तथा देश के किसी क्षेत्र में सामान्य शिक्षा/तकनीकी, गैर-तकनीकी शिक्षा/विधि शिक्षा/शिक्षा-प्रशिक्षण हेतु महाविद्यालय स्थापित करना। समाज/स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए किड-केयर, नर्सरी, प्राइमरी, माध्यमिक स्कूलों तथा डिग्री व पी0जी0 कॉलेज की स्थापना करना तथा आमदनी के स्रोत हेतु विद्यालय कम्पाउंड में दुकान व आवास का निर्माण करना।
- 7 शैक्षणिक क्षेत्र में विभिन्न कक्षाओं में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे—मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, बैंक, पी0सी0एस0, आई0ए0एस0 में प्रवेश की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटरों की व्यवस्था तथा उससे होने वाली आय से संस्था का पोषण करना।
- 8 संस्था की प्रत्येक योजनाओं में महिलाओं को उनकी योग्यता के अनुसार समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना, उनके न मिलने की दशा में पुरुषों से सीट भरी जा सकती है।
- 9 धर्म एवं संस्कृति का संरक्षण तथा प्रचार-प्रसार करना एवं सत्संग स्थलों की स्थापना करना। उनमें प्रवचन करना या कराना, प्रार्थना भवनों का निर्माण करना व धर्म एवं संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण केंद्र व ध्यान केंद्रों की स्थापना करना।
- 10 अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्गों, आदिवासी, बंजारा, मुसहर, वाल्मीकि समाज के लिए स्वरोजगार योजनाओं का प्रबन्ध करना तथा उनके लिए शैक्षणिक क्षेत्र में कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था करना।

- 11** युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेनिंग, जैसे—सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक, वायरमैन, डीजल एवं मोटर मैकेनिक, रेडियो एवं टी0वी0 ट्रेनिंग, शॉर्टहैंड, कम्प्यूटर, फाइन आर्ट, संगीत। इसके अतिरिक्त फल संरक्षण, कुकिंग/बेकरी एवं मशरूम उद्योग प्रशिक्षण, डाइटिंग प्रशिक्षण आदि जैसे केंद्रों की स्थापना कराना।
- 12** सरकार द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं के बारे में जनता के बीच प्रचार-प्रसार करना तथा जागरूक करना तथा विभागों से जुड़ व जोड़कर देश के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुँचाना, जैसे—स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग आदि।
- 13** ट्रस्ट के हित में दान/अनुदान एवं चन्दा एकत्रित कर ट्रस्ट के आवश्यक कार्यों को कराना एवं ट्रस्ट द्वारा स्थापित केंद्रों की स्थापना/व्यवस्था तथा प्रबन्धन करना।
आवश्यकतानुसार उनके लिए प्रशिक्षण कक्ष, पुस्तकालय, अध्ययन कक्ष, छात्रावास, भोजन, वस्त्र, दवा, यातायात, खेल का मैदान, धार्मिक स्थलों को बनवाना ताकि उसका समुचित विकास हो सके। सभी धर्मों को बढ़ावा देना, सभी प्रकार के धार्मिक व सामाजिक आयोजन करना व उपरोक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराना।
- 14** खाद्य प्रसंस्करण जैसे—जैम, जेली, मुरब्बा, अचार, केचप तथा अन्य फल संरक्षण का प्रशिक्षण देना। युवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के अन्य उपयोगी प्रशिक्षण जैसे—हैंडीक्राफ्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुकिंग कला, निबंध, व्याख्यान तथा खेल-कूद आदि का आयोजन, प्रतियोगिता तथा विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करना भी संस्था का उद्देश्य है।
- 15** समाज कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी योजनाओं व परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, जैसे—गूंगे, बहरे, अंधे, अपंग एवं मानसिक रूप से कमजोर बच्चों, युवाओं के लिए विद्यालय, छात्रावास एवं भोजन, वस्त्र की निःशुल्क व्यवस्था तथा पैरालम्पिक खेल-कूद कराना एवं दिव्यांगों

एवं उपरोक्त सभी को आत्मनिर्भर बनाना आदि। बिना लाभ-हानि के अन्य छात्रावासों का निर्माण व उनकी समुचित व्यवस्था करना आदि।

- 16** वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम, विश्राम केंद्र, पुनर्वास केंद्र की स्थापना करना, जिसमें मनोरंजन, पढ़ने-लिखने एवं उन्हें खेलने-कूदने की पूर्ण सुविधा हो। महिला संरक्षण गृह/विधवा पुनर्वास केंद्र की स्थापना करना तथा उन्हें सरकारी सहायता दिलाना।
- 17** सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना तथा आवश्यकतानुसार परामर्श केंद्र, बारात घर, धर्मशाला, सुलभ शौचालय, चिकित्सालय, पुस्तकालय एवं वाचनालय, खेल का मैदान, योगा प्रशिक्षण एवं ध्यान केंद्र, छात्रावास, आँगनबाड़ी, बालवाड़ी, ड्रामा स्टेज, प्रशिक्षण हॉल एवं अन्य प्रशिक्षण संस्था की स्थापना एवं प्रबन्ध करना।
- 18** सरकारी/अर्द्धसरकारी/प्राइवेट व खाली पड़ी जमीन पर आर्थिक महत्व वाले पौधों को बड़े पैमाने पर उगाना, वृक्षारोपण, औषधियों एवं जड़ी-बूटी वाले पौधों का उत्पादन (मेडिसिनल प्लान्ट), सौन्दर्य उपयोग पौधों (फ्लोरीकल्चर) तथा अन्य पौधों का रोपण करना। सुरक्षा एवं संरक्षण की दृष्टिकोण से विलुप्त पौधों की खेती करना।
- 19** खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नियमों का पालन करते हुए उससे संबंधित समस्त जनहित योजनाओं को लागू करना तथा स्वरोजगार के लिए बोर्ड से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार की आर्थिक सहायता व अनुदान को स्वरोजगार हेतु जन-जन तक पहुँचाना।
- 20** राष्ट्रीय एकता शिविर के द्वारा विशेषकर संवेदनशील एवं अति संवेदनशील राज्यों के लोगों में राष्ट्रीय एकता एवं समर्पण की भावना का विकास करना तथा भारत के संविधान की रक्षा के लिये कार्य करना एवं संविधान प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जनता में जागरूकता लाना।

- 21** संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भूमि, मकान तथा वाहनों को खरीदना-बेचना, उन्हें किराये पर या लीज पर लेना-देना, मॉर्गेज करना या मकान बनवाना, बेचना आदि।
- 22** विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों हेतु आधुनिकतम सुविधा के साथ प्रशिक्षण हॉल की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रशिक्षण संपादित हो सकें, जैसे—यूनीसेफ, आई0सी0डी0एस0, नेहरू युवा केंद्र, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, युवा कल्याण, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का आयोजन करना।
- 23** घरेलू ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए डेयरी उद्योग, रेशम उद्योग, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन तथा इनसे संबंधित बीमारियों की जानकारी, रोकथाम, टीकाकरण के लिए युवाओं को प्रेरित/जागरूक/प्रशिक्षण एवं साधन सम्पन्न कराना।
- 24** बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, पान मसाला, गाँजा-भाँग, शराब, चरस एवं मादक पदार्थ या किसी अन्य प्रकार के नशा का सेवन करने वाले लोगों को उनसे होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क करना तथा उनसे छुटकारा पाने के लिए नशा मुक्ति निःशुल्क चिकित्सालय एवं नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्था करना।
- 25** समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे—अंधविश्वास, बाल-विवाह, दहेज प्रथा, बाल शोषण, बालश्रम, महिला शोषण, लिंग-भेद, अस्पृश्यता, जाति-पाति एवं छुआछूत की भावना को दूर करना तथा इसके लिए जागरूकता/प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- 26** महिलाओं से संबंधित यौन-प्रहार या आक्रमण/यौन प्रताड़ना, युवतियों का खरीद-फरोख्त, पारिवारिक हिंसा, महिला अथवा विधवा उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलाना व इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित एवं जागरूक करना अथवा आवश्यकतानुसार महिला उत्पीड़न मुक्ति केंद्रों आदि की स्थापना करना।
- 27** सामूहिक विवाह तथा सामूहिक भोज को बढ़ावा देना, विभिन्न त्योहारों जैसे—होली, दीपावली, दशहरा, मुहर्रम, ईद, बकरीद अथवा अन्य समारोह जैसे—शादी, गौना, सालगिरह एवं जन्मदिन पर होने वाले भोजन, धन तथा अनाज के अपव्यय की रोकथाम हेतु जनता को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना।
- 28** विभिन्न प्रकार के खेल जैसे—योगा, जिम्नास्टिक, जूडो-कराटे, कबड्डी तथा अन्य शहरी एवं पारम्परिक ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक स्तर पर उनका प्रशिक्षण तथा प्रतियोगिता कराना तथा पैरालम्पिक खेलों को बढ़ावा देना एवं इसके लिए संस्था द्वारा सरकारी अनुदान के लिए प्रयास करना।
- 29** विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी योजनाओं की सहायता से बाल स्वास्थ्य एवं टीकाकरण, पेयजल, स्वच्छता, जनसंख्या वृद्धि एवं परिवार कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना, जिसमें जागरूकता, प्रशिक्षण/कैम्प, सहायता एवं पाइप की व्यवस्था करना।
- 30** परिवार कल्याण के क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, परिवार-नियोजन, टीकाकरण के क्षेत्र में जागरूकता, प्रशिक्षण, दवा/किट वितरण एवं उनके प्रयोग की सुविधा के साथ-साथ परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना तथा रक्तदान शिविर का आयोजन करना।

31 एड्स, कैंसर, टी0बी0, कुष्ठरोग, मलेरिया, पोलियो, हेपेटाइटिस, इंसफलाइटिस, कोविड-19 जैसे रोगों की जानकारी/रोकथाम/नियंत्रण/जागरूकता/उपचार की व्यवस्था एवं सुविधा उपलब्ध कराना तथा जनसामान्य के लाभ हेतु नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज व अन्य चिकित्सकीय/पैरा-मेडिकल (नर्सिंग कॉलेज) महाविद्यालयों, प्राइवेट विश्वविद्यालय, अस्पतालों तथा प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना।

32 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भिखारियों, झुग्गी-झोपड़ी एवं मलिन बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों को आवास, भोजन, पेयजल, स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं सामाजिक चेतना के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना।

33 सरकारी कार्यक्रमों जैसे—डूडा एवं सूडा को संचालित करना।

34 सरकार की सहायता से गाँवों एवं शहरों के विकास हेतु पेयजल, शौचालय, नाली, सोलर लाइट, सड़क निर्माण, खड़ंगा, पिच, पार्क, शिविर एवं भवन निर्माण की व्यवस्था करना। सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त लागत से आवास बनाकर गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को उपलब्ध कराना।

35 कृषि उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई-नई वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग कराना तथा नए-नए शोधित बीजों को उगाने तथा उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में जानकारी देना। दवा तथा सुरक्षा के लिए आम लोगों तथा किसानों का शिविर लगाकर उन्हें प्रेरित/जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। साथ ही कृषि उत्पाद का उन्हें उचित मूल्य दिलाना तथा कृषि एवं बागवानी बोर्ड के विकास हेतु नए वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार-प्रसार करना

तथा स्थायी कृषि कार्यक्रमों द्वारा कृषकों को प्रशिक्षित एवं लाभान्वित करना।

36 वर्मी कम्पोस्ट एवं साग-सब्जी उद्योगों को बढ़ावा देना तथा भूमि को रासायनिक उर्वरक से होने वाली हानि से लोगों को अवगत कराना।

37 बंजर एवं ऊसर भूमि को लेकर फसलोपयोगी बनाना। गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, वातावरणीय संरक्षण, जल एवं अन्य प्राकृतिक सम्पदा के संरक्षण को विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करना।

38 जल, वायु, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण की जानकारी/नियंत्रण/उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में युवाओं को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के लिए रचनात्मक दिशा में कारगर कदम उठाना।

39 प्राकृतिक आपदा जैसे—बाढ़, भूकम्प, सुनामी, आग, सूखा, अकाल, दुर्घटना आदि की दशा में प्रभावित लोगों की सहायता करना तथा प्रभावित गाँवों के व्यक्तियों एवं पशुओं का सर्वेक्षण एवं पहचान करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना सम्मिलित है। ऐसी दशा में लोगों के बचाव एवं भावी रणनीति के लिए सहयोग/जागरूकता तथा प्रशिक्षण करना है।

40 लावारिस असहाय पशुओं एवं बीमार जानवरों विशेषकर कुत्तों एवं गोवंशीय जानवरों की देखभाल के साथ-साथ समुचित संरक्षण तथा उनके पोषण, निःशुल्क दवा व अस्पताल की व्यवस्था/पशुशाला तथा गौशाला की व्यवस्था करना। प्रतिबन्धित पशुओं की अवैध हत्याओं को रोकना, पशुओं के प्रति प्रेम जागृत करने के लिए पशु मेले का आयोजन करना।

- 41** तत्काल सुविधा पहुँचाने हेतु सड़क/ट्रेन/बस दुर्घटना, जखमी व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं, बीमार, असहाय, वृद्ध व्यक्तियों को निकटवर्ती अस्पताल तक पहुँचाने के लिए अथवा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाने के लिए मोबाइल इमरजेन्सी एम्बुलेंस/वैन की व्यवस्था करना।
- 42** उन समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना जो समाज कल्याण हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा अनुदानित हैं तथा जिनको विभिन्न विभागों व एन0जी0ओ0 के माध्यम से चलाया जा रहा है।
- 43** पंचायती राज एवं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जानकारी तथा अन्य सामान्य ज्ञान एवं कानूनी जागरूकता के लिए काउन्सिलिंग केंद्रों की स्थापना व प्रबन्धन करना ताकि महिलाओं तथा समाज के गरीब एवं पिछड़े लोगों को कानूनी सहायता दी जा सके। गरीब लोगों विशेषकर महिलाओं के कानून, सामाजिक, आर्थिक या चिकित्सकीय सुविधा अथवा सहायता के लिए उपाय करना।
- 44** किसी एन0जी0ओ0 द्वारा दिए गए कार्यों को भी न्यास के माध्यम से सम्पादित किया जा सकेगा।
- 45** सरकारी अथवा अन्य संस्था के किसी भी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वे कार्य, डाटा कलेक्शन, जागरूकता तथा प्रशिक्षण हेतु किसी प्रकार का किट, पोस्टर, बैनर, श्रव्य-दृश्य कैसेट, कठपुतली सामग्री, डॉक्यूमेंट्री एवं नुक्कड़-नाटक किट तैयार करना, जो विभिन्न कार्यक्रमों अथवा क्षेत्रों में प्रयुक्त होता हो, जिससे न्यास के उद्देश्य की पूर्ति होती है।
- 46** किसी अन्य सरकारी, गैर-सरकारी तंत्र अथवा एन0जी0ओ0, एसोसिएशन, ट्रस्ट को आर्थिक सहायता देना, उनके क्रियाकलापों में सहयोग देना जिनके उद्देश्य इस संस्था से मिलते हैं।
- 47** सरकारी तथा गैर-सरकारी लोगों/संस्थाओं/तंत्रों/कम्पनी/दुकानों से आर्थिक सहायता लेकर संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना। इसमें विभिन्न प्रकार के डोनेशन, ग्रांट, गिफ्ट, चल एवं अचल सम्पत्ति सम्मिलित हैं।
- 48** विभिन्न पंजीकृत संस्थाओं को संगठित करना तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना या आर्थिक सहायता पहुँचाना।
- 49** संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इसकी शाखा या इसके क्रिया-कलापों को आवश्यकतानुसार अन्य जिला/प्रदेशों में स्थापित करना या फैलाना।
- 50** सरकारी, अर्द्ध-सरकारी अथवा गैर-सरकारी बैंकों से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऋण या सहायता प्राप्त करना।



- 51 वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षण संस्थान के साधारण सभा के सदस्यों के 2/3 या 3/4 सदस्यों के बहुमत से अन्य किसी शिक्षण संस्थाओं/सोसाइटी को इसमें समाहित किया जा सकता है।
- 52 “विश्व शान्ति मिशन” को जो धनराशि सरकारी या अर्द्धसरकारी विभागों द्वारा प्राप्त होती है, वह 80जी एवं धारा 12ए के अंतर्गत छूट की सीमा में आयेगी।
- 53 सर्वसाधारण के लिए बौद्ध साहित्य एवं पत्र-पत्रिकाओं को प्रसार हेतु निःशुल्क वितरण करना एवं भारतवर्ष के राष्ट्रीय चिन्हों/प्रतीकों/स्मारकों के सम्मान के लिए प्रचार करना।
- 54 भारत की संस्कृति व विरासत को सुरक्षित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा समाज को जागरूक करने के लिए नुक्कड़-नाटक, टेलीफिल्म, सीरियल, फिल्म, गाने आदि का निर्माण करवाना तथा उसे संचालित करना।
- 55 समाज को स्वावलम्बी बनाने के लिए नाट्य विद्यालय व प्रोडक्शन हाउस, फिल्म सिटी आदि की स्थापना करना।



विश्व शान्ति मिशन

आइए, मिलकर एक शिक्षित, स्वस्थ, स्वावलम्बी एवं समरस समाज का निर्माण करें।

●●● सम्पर्क करें

ट्रस्ट के कार्यों में सहयोग, दान एवं जानकारी हेतु



+91 94502 56174



vishwashantimissiongkp@gmail.com